

दिनांक 09.08.2016 को माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड की अध्यक्षता में सभी उपायुक्तों के साथ District Mineral Foundation Trust एवं अन्य विभागीय मामलों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति – संलग्न विवरणी के अनुसार।

मुख्य सचिव द्वारा माननीय मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए बैठक के प्रयोजन के संबंध में यह बतलाया गया कि District Mineral Foundation Trust के अन्तर्गत प्रत्येक जिलों में राशि प्राप्त होती है, उसके समुचित उपयोग हेतु योजना तैयार करने एवं उसके कार्यान्वयन पर सभी उपायुक्तों द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री के निदेश पर सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया गया, जिसके मुख्य अंश निम्नवत् है:-

- राज्य में District Mineral Foundation Trust (DMFT) की स्थापना 24 नवम्बर, 2015 को की गई है। इस Trust की स्थापना राज्य के सभी जिलों में की गयी है एवं इसके संचालन हेतु सभी जिलों में बैंक में खाता भी खोला गया है।
- DMFT Fund के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली कुल राशि का 60 प्रतिशत पेयजल, पर्यावरण सुरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला कल्याण, वृद्धा एवं विकलांग कल्याण, कौशल विकास एवं स्वच्छता पर खर्च किया जाना है। प्राप्त राशि का 40 प्रतिशत भौतिक संरचना, सिंचाई, ऊर्जा, जल संचयन विकास एवं खनन जिलों में पर्यावरण सुरक्षा को बढ़ावा देने पर खर्च किया जाना है।
- सभी उपायुक्तों को वित्तीय वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में DMFT Fund के अन्तर्गत जिलावार प्राप्त होनेवाली राशि की सूचना पूर्व में ही दी गई थी एवं निदेशित किया गया था कि प्राप्त राशि का तीन गुणा योजना तैयार कर उसे DMFT न्यास पर्षद की बैठक में पारित कराते हुए बैठक में भाग लिया जाए।
- वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त रॉयल्टी 3263.49 करोड़ रु० में से DMFT Fund में 30% की दर से कुल 979.05 करोड़ रु० प्राप्त होना है एवं वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1076.95 करोड़ रु० प्राप्त होने की संभावना व्यक्त की गई। बैठक में यह भी बताया गया कि वर्ष 2016-17 में अबतक 181.23 करोड़ रु० प्राप्त हो चुका है।

7852
19-9-16

बैठक में DMFT Fund के अन्तर्गत अधिकतम राशि प्राप्त करनेवाले 14 जिलों की स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की गई:—

(राशि करोड़ रू0 में)

क्र०	जिला	वर्ष 2015-16 में DMFT के तहत प्राप्त राशि	वर्ष 2016-17 में DMFT के तहत प्राप्त होनेवाली संभावित राशि	कुल प्राप्त राशि (3+4)	वर्ष 2016-17 में अबतक प्राप्त राशि
1	2	3	4	5	6
1	धनबाद	262.16	288.38	550.54	79.01
2	रामगढ़	206.77	227.45	434.22	24.70
3	चाईबासा	150.24	165.27	315.51	33.58
4	बोकारो	92.67	101.98	194.65	
5	चतरा	123.11	135.42	258.53	
6	गोड्डा	61.32	67.45	128.77	5.92
7	हजारीबाग	27.75	30.53	58.28	
8	देवघर	18.58	20.44	39.02	
9	रॉंची	10.29	11.32	21.61	
10	लातेहार	8.08	8.89	16.97	2.05
11	गुमला	5.05	5.56	10.61	
12	पूर्वी सिंहभूम	5.04	5.55	10.59	
13	गिरिडीह	4.15	4.56	8.71	
14	लोहरदगा	2.75	3.02	5.77	

इसके उपरांत उपायुक्तों द्वारा जिलावार अपने-अपने जिले की योजनाओं के बारे में माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुतीकरण द्वारा बताया गया -

धनबाद

उपायुक्त, धनबाद द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 262.16 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 79.01 करोड़ रू0 प्राप्त हुआ है, जो कुल मिलाकर 341.17 करोड़ रू0 होता है। इस राशि के विरुद्ध 1041.00 करोड़ रू0 की योजनाएँ बैठक में पारित करायी गई है। पारित योजनाओं में वृहद्द पेयजलापूर्ति की योजना, पथ जीर्णोद्धार की योजना, छोटे-छोटे चेकडैम, लघु सिंचाई के साथ-साथ स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित योजनाएँ ली गई है। स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत बाघमारा प्रखण्ड को ODF घोषित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

रामगढ़

उपायुक्त, रामगढ़ द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 206.77 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 24.71 करोड़ रू0 प्राप्त हुआ है, जो कुल मिलाकर 231.48 करोड़ रू0 होता है। इस राशि के विरुद्ध 744.00 करोड़ रू0 की योजनाएँ बैठक में पारित करायी गई है। पारित योजनाओं में पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित योजना, कन्या विद्यालय के चहारदिवारी निर्माण, स्वास्थ्य प्रक्षेत्र के अन्तर्गत जिले को कुपोषण से मुक्त किए जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। उपायुक्त ने यह भी बताया कि जिले में 46 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रसित हैं, जिन्हें कुपोषण से मुक्त करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय। इस वित्तीय वर्ष की कार्य योजना में जिले को ODF घोषित किये जाने का लक्ष्य है। Abandoned खान में उपलब्ध जल का उपयोग सिंचाई एवं पेयजल में करने तथा Open cast mining को renovate किये जाने का भी प्रस्ताव है। पंचायत ग्रोथ सेन्टर की स्थापना एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्रों में आवश्यक संस्थागत प्रसव की व्यवस्था करने का भी लक्ष्य है।

प0 सिंहभूम (चाईबासा)

उपायुक्त, प0 सिंहभूम (चाईबासा) द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 150.24 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 33.58 करोड़ रू0 प्राप्त हुआ है, जो कुल मिलाकर 183.82 करोड़ रू0 होता है। इस राशि के विरुद्ध 257.00 करोड़ रू0 की योजनाएँ बैठक में पारित करायी गई है। पारित योजनाओं में पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित 90 योजनाएँ हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चाईबासा में शुद्ध पेयजल की समस्या काफी गंभीर है, जिसके समाधान हेतु Contamination Plant, Gravitation based filtration plant, Solar based पेयजलापूर्ति योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना प्रस्तावित है।

24 स्वास्थ्य उपकेन्द्र जिसका अपना भवन नहीं है, एक APHC जो भाड़े में चलता है, के लिए नए भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है। 5 जगहों पर पंचायत भवन का निर्माण कराया जाना है। Forest cooperative के लिए इसी पंचायत भवन में बैठक आयोजित की जाएगी। दो प्रखण्डों में Eco- Biopark Develop कराया जाएगा।

मनोहरपुर, नोवामुण्डी में एकलव्य मॉडल के समरूप विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है, इसी भवन में Archery Centre भी स्थापित किया जाना लक्षित है।

बोकारो

उपायुक्त, बोकारो द्वारा यह बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 92.67 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 17.00 करोड़ रू0 प्राप्त हुआ है, जो कुल मिलाकर 109.67 करोड़ रू0 होता है। इस राशि के विरुद्ध अबतक 143.00 करोड़ रू0 की योजनाएँ बैठक में पारित करायी गई है। अन्य योजनाओं को अगली बैठक में पारित करायी जाएगी।

पारित योजनाओं में पेयजल एवं स्वच्छता अन्तर्गत पाईप जलापूर्ति योजनाओं से 4800 परिवारों को लाभान्वित कराया जाएगा। प्रत्येक गाँव में Water ATM की व्यवस्था की जाएगी ताकि ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल प्राप्त हो सके। सामुदायिक शौचालय के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

चतरा

उपायुक्त, चतरा द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 123.11 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 135.42 करोड़ रू0 प्राप्त होगा, जो कुल मिलाकर 258.53 करोड़ रू0 होता है। इस राशि से पेयजल एवं स्वच्छता, विद्यालय भवन, स्वास्थ्य उपकेन्द्र, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण करायें जाने का प्रस्ताव है।

पेयजल एवं स्वच्छता के संबंध में उपायुक्त द्वारा बतलाया गया है कि पेयजलापूर्ति से संबंधित जो योजना चालू नहीं है, उन्हें चालू कराया जाएगा तथा कुछ नई योजनाओं का भी निर्माण कराया जाएगा। साथ ही साथ दो सामुदायिक शौचालय के निर्माण का भी प्रस्ताव है।

शिक्षा क्षेत्र में 9 उच्च विद्यालयों में चहारदिवारी का निर्माण, कम्प्यूटर सेन्टर की स्थापना एवं सभी उच्च विद्यालयों में स्मार्ट क्लास चलाये जाने का प्रस्ताव है।

स्वास्थ्य प्रक्षेत्र में स्वास्थ्य उपकेन्द्र को अपडेट करते हुए Mining related disease के लिए एक यूनिट स्थापित किया जाना है। 18 स्वास्थ्य उपकेन्द्र में सौर आधारित बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

गोड्डा

उपायुक्त, गोड्डा द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 61.32 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5.91 करोड़ रू0 प्राप्त हुआ है, जो कुल मिलाकर 67.23 करोड़ रू0 होता है। इस सम्पूर्ण राशि को पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित योजनाओं पर व्यय किए जाने का प्रस्ताव है। बैठक में उपायुक्त ने यह भी बताया कि सर्वप्रथम 11 पंचायतों में पाईप जलापूर्ति योजना से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा एवं इन सभी पंचायतों को ODF घोषित कराया जाएगा।

हजारीबाग

उपायुक्त, हजारीबाग ने बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 27.75 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 30.53 करोड़ रू0 प्राप्त होगा। 100.00 करोड़ रू0 की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त की गई है, जिसमें से 80 प्रतिशत राशि पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित है। जिले के दो प्रखण्डों एवं 37 गाँवों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति किए जाने की योजना है। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य उपकेन्द्र, विद्यालय की योजनाओं को भी चिन्हित किया गया है, जिसके निर्माण के प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

देवघर

उप विकास आयुक्त, देवघर द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 18.58 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 20.41 करोड़ रू0 प्राप्त होगा। इस सम्पूर्ण राशि से पेयजलापूर्ति की योजनाएँ ली जाएगी। वर्तमान में योजना पारित नहीं करायी गयी है, जिसे जल्द ही पारित कराकर कार्यान्वित कराया जाएगा।

राँची

उपायुक्त, राँची द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 10.29 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 11.32 करोड़ रू0 प्राप्त होगा। उन्होंने यह भी बताया कि 27.00 करोड़ रू0 की योजनाएँ पारित करायी गई है। खलारी के 14 पंचायत को ODF घोषित किए जाने का लक्ष्य है। 35000 आबादी पाईप वाटर सप्लाई से वंचित है, जिसके लिए योजना के DPR का तैयार कराया जा रहा है।

लातेहार

उपायुक्त, लातेहार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 8.08 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 8.89 करोड़ रू0 प्राप्त होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि 9.00 करोड़ रू0 की योजनाएँ पारित करा ली गई है। 06 गाँव को पेयजलापूर्ति योजना से आच्छादित किए जाने एवं ODF घोषित किये जाने का लक्ष्य है।

गुमला

उपायुक्त, गुमला द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 5.05 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5.58 करोड़ रू0 प्राप्त होंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विशुनपुर, घाघरा एवं चैनपुर को पेयजलापूर्ति योजना से आच्छादित किए जाने का प्रस्ताव है। 13 प्राथमिक विद्यालय एवं 07 मध्य

विद्यालय को उत्कर्मित करते हुए उनमें स्वच्छ पेयजल एवं विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना है। 10 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के जीर्णोद्धार का भी प्रस्ताव है।

पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 5.54 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5.55 करोड़ रू0 प्राप्त होगा। इस राशि के विरुद्ध 20.00 करोड़ रू0 की योजना पारित करायी गई है। उन्होंने बताया कि 14 पंचायत के 22 गाँवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्य हेतु पाईप जलापूर्ति योजना का DPR तैयार कराया जा रहा है। सभी गाँवों को ODF घोषित किए जाने का लक्ष्य है।

माननीय मुख्यमंत्री ने उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को निर्देश दिया कि घाटशिला में Floride युक्त जल है, जिसके कारण वहाँ के निवासियों को विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ हो रही है, इसलिए घाटशिला में पेयजलापूर्ति की योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जाए।

उपायुक्त ने बताया कि 15 उच्च विद्यालय है, जिसमें 7 भवनहीन है, इसके लिए भवन निर्माण का भी प्रस्ताव है। 22 प्राथमिक विद्यालयों एवं 9 मध्य विद्यालयों में स्मार्ट क्लास चलाए जाने का भी प्रस्ताव है।

गिरिडीह

उपायुक्त, गिरिडीह द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 4.15 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4.56 करोड़ रू0 प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि 15 पंचायत के 26 गाँवों में से 15 गाँवों में पेयजलापूर्ति की योजना का निर्माण कराया जाएगा। इन गाँवों को ODF घोषित किए जाने का भी लक्ष्य रखा गया है।

लोहरदगा

उपायुक्त, लोहरदगा द्वारा बताया गया कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.75 करोड़ रू0 एवं चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में 3.02 करोड़ रू0 प्राप्त होगा। 75 गाँवों में पेयजलापूर्ति की योजना का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है, जिसमें से 18 गाँवों में HYDT तथा Mini Water Supply की योजना प्रस्तावित है।

माननीय मुख्यमंत्री ने सभी उपायुक्तों को निदेश दिया कि District Mineral Foundation Trust के अन्तर्गत प्राप्त राशि से निम्न कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाय :-

- घर-घर तक पाईपलाईन द्वारा शुद्ध पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।
- खुले में शौच से मुक्त भारत/स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत गाँधीजी के 150वीं जयंती के अवसर पर अपने जिले के कुछ प्रखण्डों को ODF घोषित करने का प्रयास करने पर बल दें। जिले के वैसे प्रखण्ड की पहचान करें जो सबसे गरीब/पिछड़ा है, उसे स्वच्छ घोषित किये जाने का प्रयास करें।
- बालिका विद्यालयों में सुरक्षा हेतु चहारदिवारी का निर्माण, स्वच्छ शौचालय एवं शुद्ध पेयजलापूर्ति की भी व्यवस्था की जाए।
- कुपोषण की समस्या को कम करने की दिशा में समुचित प्रयास किया जायें। राज्य के चिन्हित 12 जिलों में गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार देने एवं अन्य स्वास्थ्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाए।
- जिन योजनाओं के लिए निर्धारित बजटीय उपबंध के तहत विभागों से राशि प्राप्त होती है, उन योजनाओं पर DMFT के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली राशि को व्यय नहीं किया जाए।
- DPR तैयार करने के लिए परामर्शी नियुक्त किया जाए ताकि अच्छा एवं स्तरीय काम हो सके।
- आदिवासी विकास परिषद की बैठक 15 अगस्त, 2016 तक अवश्य करायी जाए। जनजातीय प्रतिनिधि, किसान, असंगठित मजदूर एवं बुजुर्गों से बात कर उनके सुझाव प्राप्त किये जायें तथा नियमानुसार कार्यान्वित कराया जाए।

बैठक में मुख्य सचिव द्वारा भी निदेश दिया गया कि सरकारी योजनाओं के निष्पादन हेतु भूमि की उपलब्धता आवश्यक होती है, जिसेके ससमय प्राप्त नहीं होने के कारण महत्वपूर्ण योजनाएँ लम्बित हो रही है। अतः भू-अर्जन के जो मामले लम्बित है, उन्हें 15 दिनों के अन्दर गति प्रदान की जाए।

साथ ही यह भी निदेश दिया कि पेयजलापूर्ति से संबंधित योजनाओं का DPR पेयजल आपूर्ति विभाग से ही तैयार कराया जाए। सचिव, उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग को यह भी निदेश दिया कि DMFT के अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली राशि विभाग को आवंटित किए जाने की संभावनाओं पर भी विचार किया जाए।

DMFT से ली जाने वाली योजनाओं की समीक्षा के उपरांत मुख्य सचिव महोदया द्वारा विभिन्न विभागों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं जिला के उपायुक्तों के साथ विभागवार समीक्षा की गई। विचार- विमर्श एवं निर्णयों का विभागवार ब्यौरा निम्नवत् है:-

ऊर्जा विभाग

ऊर्जा विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि-

- विद्यालयों को विद्युतीकृत किये जाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसे दिसम्बर, 2016 तक पूर्ण कर लिया जाय। इसके लिए जिलों में संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक, अनुश्रवण व समन्वय स्थापित करें।
- सभी उपायुक्त किन्द्र/राज्य योजनाओं के अन्तर्गत प्रस्तावित 33/11 KV Power Sub Station के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण में सहयोग करें।
- JUUNL के अन्तर्गत पतरातु में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाय।
- ट्रांसमिशन परियोजना से संबंधित लंबित NOC for am, JJ lands एवं Forest Clearance के लिए ग्राम सभा की कार्यवाही को एक सप्ताह के अंदर पुरा किया जाय।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा जिलावार समीक्षा किया गया। उक्त के क्रम में मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि -

- उत्तरी छोटानागपुर के चिन्हित 1200 गाँवों के भूमि हस्तान्तरण का कार्य 15 दिनों के अन्दर पूर्ण करने। साथ ही भूमि का मौजावार गैर-आवासीय अथवा आवासीय का वर्गीकरण (Classification) भी करें।
- भूमि अधिग्रहण के मामले का शीघ्र निष्पादन करें।
- भू-अर्जन के मामले में संबंधित रैयतों को ससमय भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- खासमहल से जुड़े मामलो में संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को लीज नवीनीकरण के लिए नोटिस भेजें, अगर व्यक्ति फिर भी उपस्थित नहीं हो तो कार्रवाई करे।
- अगले तीन माह में शिविर आयोजित कर दाखिल खारिज से संबंधित मामलों का निष्पादन करें। सभी जिला मुख्यालय में नोटिस चिपका दें कि यह विषय Right to Service Act के अन्दर आता है।
- SAR कोर्ट द्वारा लम्बित पूर्व निस्तारित मामलों का शीघ्र दखलदिहानी सुनिश्चित किया जाए;

- भूमि अभिलेखों का डिजिटलईजेशन शीघ्र पूर्ण कराया जाए।
- म्यूटेशन एवं जमीन की रसीद की ऑनलाईन व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- जिन जिलों में अन्तर्विभागीय भूमि हस्तान्तरण से संबंधित मामले हैं, वे जिले संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर हस्तान्तरण के मामले को शीघ्र निष्पादित करें तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भी उपलब्ध करायें।
- अगर किसी पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कोई आरोप का मामला लम्बित हो तो उसे नियमानुसार ससमय निस्तारित करें।

उक्त के क्रम में विकास आयुक्त द्वारा भी निदेश दिया गया कि भूमि अर्जन (Land Disbursement) की राशि का वितरण शीघ्र करें तथा इस मद में प्राप्त राशि को Co-oprative Bank या Nationalization Bank में रखना सुनिश्चित करें। उन्होंने हिदायत दी कि किसी भी हालत में प्राप्त राशि को Private Bank में नहीं रखा जाए। तदोपरान्त इसी क्रम में मुख्य सचिव, झारखण्ड द्वारा भी अपर समाहर्ता के साथ हुए विडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान दिए निदेशों का अनुपालन भी शीघ्र सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

प्रधान सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने बताया कि निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या काफी है। 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत 3000 तथा मनरेगा अन्तर्गत 9000 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण की योजनाएँ लम्बित हैं। उक्त के क्रम में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न निदेश दिया गया—

- आंगनबाड़ी केन्द्रों के लम्बित भवनों को अविलम्ब पूर्ण करें। साथ ही सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में शौचालय के निर्माण भी किया जाय।
- कुपोषण दूर करने हेतु प्रथम चरण में 12 जिलों में **पोषण सखियों** की नियुक्ति शीघ्र की जाय। इस संबंध में दुमका, धनबाद एवं कोडरमा के उपायुक्तों को विशेष ध्यान देने का निदेश दिया।
- सभी उपायुक्त पोषण सखी की नियुक्ति के मामले में CDPO को **Timeline** दें। अगर कोई CDPO समय पर कार्य नहीं करती है तो उस कार्रवाई हेतु विभाग को लिखें ताकि विभागीय कार्यवाही किया जा सके।
- विभाग द्वारा **SMS based Application Develop** किया है, परन्तु इन आंगनबाड़ी केन्द्रों से **Feedback** कम आ रहे हैं, इसपर सभी उपायुक्त ध्यान दें।
- सामाजिक सुरक्षा के मामले में निर्धारित लक्ष्य में गैप है, इस गैप को अविलम्ब पूर्ण करें। साथ ही, उनके द्वारा भारत सरकार के निदेशानुसार 31 दिसम्बर, 2016

तक DBT के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा की राशि का भुगतान भी सुनिश्चित करें।

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता

बैठक में सचिव, कृषि विभाग, झारखण्ड के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। समीक्षा के उपरांत मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि –

- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत उपायुक्त, दुमका को प्रत्येक प्रखण्ड में निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि संबंधी प्रतिवेदन भेजने का निदेश दिया गया।
- किसान क्रेडिट कार्ड पर सभी उपायुक्त विशेष रूप से ध्यान दें तथा प्रत्येक जिला में 25 बीज ग्राम की स्थापना किये।
- इस वित्तीय वर्ष परती भूमि को सिंचित भूमि में बदलने हेतु निर्धारित लक्ष्य 1.60 लाख हेक्टेयर के विरुद्ध 1.00 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था की गई है। लक्ष्य को पूरा करने हेतु आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।
- केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री विशेष सिंचाई योजना पर सभी उपायुक्त इस विशेष ध्यान दे।
- गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रहे लोगों को uplift करने के उद्देश्य से बकरी, सुअर मुर्गी दिया जाना है। उपायुक्त लाभुक आधारित योजना को Cooperative Federation के माध्यम से क्रियान्वित करे।
- डोभा निर्माण का मुख्य उद्देश्य है सिंचाई तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। उन्होंने हिदायत दी कि डोभा में किसी को स्नान नहीं करना है। विशेषतः बच्चों को स्नान नहीं किये जाने के निषेध पर अधिक बल दिया गया। सचिव के द्वारा डोभा निर्माण के निर्धारित लक्ष्यों को अविलम्ब पूर्ण करने का निदेश दिया गया, ताकि लक्षोदृष्टि परिणाम हासिल किया जा सके।

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण

अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य ने स्वास्थ्य विभाग से संबंधित योजनों की समीक्षा की जिसके तहत मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि –

- जिलों में NHM के तहत रिक्त पदों पर लंबित नियुक्ति की जाय।
- Anti Natal Care में राज्य का औसत राष्ट्रीय औसत तक पहुँचाने के लिए सभी जिला प्रयास करें।
- सभी उपायुक्त अपने-अपने जिला में Delivery Point पर फोकस करें, जिससे संस्थागत प्रसव बढ़ेगा।

- सभी जिलों में निर्माणाधीन स्वास्थ्य उपकेन्द्रों/स्वास्थ्य केन्द्रों के संबंध में प्रतिवेदन सरकार को भेजें।
- Immunization को किस प्रकार Improve किया जाये, इसपर भी उपायुक्त विशेष ध्यान दें।
- जिला में कालाजार समाप्त करने हेतु पाकुड़, गोड्डा, दुमका एवं साहेबगंज जिला विशेष ध्यान दें।
- Leprosy Program राज्य के तहत राज्य में Leprosy Rate को एक लाख पर लाने हेतु ध्यान दें।
- Tuberculosis के treatment success rate को Improve करें, खासकर कोडरमा जिला को।
- संस्थागत प्रसव में राज्य का औसत 62 प्रतिशत है, परन्तु पाकुड़, धनबाद एवं सिमडेगा में संस्थागत प्रसव 50 प्रतिशत से नीचे है, इसे Improve किया जाना है।
- प्रत्येक पंचायत में प्रत्येक माह Health Camp लगाया जायें एवं इसका प्रचार-प्रसार किया जाये।
- बेंटी बचाओ अभियान को एक मिशन के रूप में लिया जाए।
- Public Finance Management System को Rationalize किया जाए। साथ ही साथ सभी जिला उपायुक्त Mother child tracking system को Improve करने पर ध्यान दे।

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता

सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की तरह स्कूली शिक्षा विभाग Indicators पर based है। समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि—

- NER, GER एवं Drop outs rate को Improve कर State Average तक लाने पर उपायुक्त ध्यान दें।
- जिला के Worst School को चिन्हित (identify) करें तथा नये SMC का प्रखण्डवार सम्मेलन का आयोजन किया जाये। जिला में गुणात्मक शिक्षा (Quality Education) पर बल दें।
- मध्याह्न भोजन की व्यवस्था को सुचारू एवं नियमित ढंग से संचालित किया जाय तथा नियमित रूप से इनका अनुपालन प्रणाली को विकसित किया जाय।
- जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या अधिक है उनमें शिक्षकों की संख्या बढ़ायी जाय।

- कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय में संविदा पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाय। सर्वशिक्षा अभियान के तहत नियुक्ति हेतु उपायुक्त अपने स्तर पर कार्रवाई करें।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

उच्च शिक्षा की Accessibility बढ़ाना विभाग का लक्ष्य है। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में Gross Enrolment Rate 13 प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय औसत 23 प्रतिशत है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2022 तक इसे 32 प्रतिशत पहुँचाने का लक्ष्य निर्धारित किये जाने हे मुख्य सचिव द्वारा निम्न निदेश दिया—

- 5-6 वर्षों में 100 महाविद्यालय निर्माण हेतु सभी 10-10 एकड़ जमीन चिन्हित कर विभाग को इसकी सूचना यथाशीघ्र दें। अगर किसी जिलों में 5 एकड़ भूमि सड़क के किनारे उपलब्ध हो तो उसकी भी सूचना विभाग को दें।
- मॉडल महाविद्यालय के स्थापना हेतु साहेबगंज, दुमका, पाकुड़ जिला भूमि चिन्हित कर इसकी सूचना उपलब्ध करायें।
- बोकारो एवं पतरातू में तकनीकी संस्थान स्थापित करने हेतु उपायुक्त अपेक्षित कार्रवाई करें।
- राज्य में वर्ष 2022 तक 20 लाख युवाओं का कौशल उन्नयन करने के लिए जिला के अप्रयुक्त भवनों एवं पंचायत भवनों को कौशल प्रशिक्षण के रूप में विकसित करें।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले

सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से समीक्षा की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि—

- जिलों में आधार कार्ड Seeding सुनिश्चित किया जाए।
- D.B.T. के जरिये किरासन तेल का वितरण हेतु अधिक बैंक खाता खोलें तथा उसे आधार Seeding करें।
- जिलों के गोदामों में पड़े अनाजों का वितरण नियमित समय पर सुनिश्चित करें।
- P.D.S. System के तहत अनाजों के वितरण में हो रहे कथित अनियमितता एवं कालाबाजारी की रोकथाम हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास ने बैठक की समीक्षा की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि—

- सभी ITI को Operationalize किया जाए।
- कम्बल वितरण हेतु Jharkcraft को विभाग द्वारा Requisition भेजा जाना है। इस हेतु सभी जिले अपने-अपने Requirement विभाग को ससमय उपलब्ध करायें ताकि कंबल की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
- सभी जिला स्तर पर Child Labour Welfare Society का गठन शीघ्र किया जाए।
- असंगठित क्षेत्र के मजदूर एवं Migrant Labour को जिलास्तर पर निबंधित किया जाए।

नगर विकास एवं आवास

प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत राज्य की उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया। इसे और बेहतर करने हेतु मुख्य सचिव ने निम्नलिखित निदेश दिया—

- Solid Waste Management, Door-to-Door Collection एवं Transportation system को व्यवस्थित करें।
- Public Toilet, Community based toilet को District Mineral Fund से पूरा करने पर विचार करें।
- केन्द्र प्रायोजित योजना "प्रधानमंत्री आवास योजना" पर विशेष रूप से ध्यान दें।
- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु बैंको के साथ बैठक करने तथा प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करें।
- जिला में Rent Fixation के लिए उपायुक्त, अनुमण्डल पदाधिकारी को आवश्यक निदेश दें।
- जिला में ULB की राशि की विवरणी विभाग को उपलब्ध करायें तथा राशि व्यय करने के लिए कार्य योजना का भी चयन करें।
- 15 अगस्त, 2016 तक प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करें।
- ODF मुक्त जिला बनाने हेतु सिटी मैनेजर की सेवा ली जाए।
- जिला स्तर पर मैला ढोने (Scavenger) प्रथा को खत्म किया जाए।

ग्रामीण विकास

प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग ने समीक्षा की उक्त समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निम्न निदेश दिये गये—

- मनरेगा के तहत 24 प्रतिशत भुगतान में देरी हो रही है, इसे खत्म किया जाए।
- MR entry एवं Measurement Pending है, इसे दूर करें।
- मनरेगा के तहत DBT के माध्यम से भुगतान हेतु आधार सिडिंग जिलास्तर पर पूरा करें।
- सभी उपायुक्त Audit Report एवं fair enquiry report तैयार करने हेतु आवश्यक निदेश दें। मनरेगा के तहत जिलास्तर पर रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई शीघ्र पूरा करें।
- कच्ची योजना को बंद किया जाए तथा पक्की योजना को शीघ्र पूरा किया जाए, परन्तु इसके पूर्व Wages & Material payment सुनिश्चित किया जाए।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत दूसरी किस्त प्राप्त करने हेतु इन्दिरा आवास योजना के तहत लम्बित योजनाएँ पूरी करना आवश्यक है, तभी द्वितीय किस्त की राशि भारत सरकार से प्राप्त होगी, अतः सभी उपायुक्त कार्य सुनिश्चित करें।
- डोभा निर्माण का जिलास्तर पर MIS तैयार करायें तथा GIS Mapping यथाशीघ्र पूरा करायें।
- DDAY के तहत स्वरोजगार के लिए RSETI गठित है, इसकी नियमित बैठक जिलास्तर पर करायी जाए।
- 80 प्रखण्डों में प्रखण्ड भवन तैयार करने की योजना शीघ्र पूरा करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध करायें तथा नए प्रखण्ड भवन तैयार करने की सूची विभाग को उपलब्ध करायी जाए।
- सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत लिए गए सभी योजनाओं को ससमय पूरा किया जाए।
- सभी उपायुक्त यह सुनिश्चित करें की जिन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का तबादला कर दिया गया है शीघ्र विरमित किया जाए।

पंचायती राज

पंचायती राज की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि—

- योजना बनाओ अभियान के तहत 6 लाख योजनाओं का documentation शीघ्र पूरा करें तथा इसकी entry ग्राम तंत्र एवं Plan plus में करें।
- दिनांक 20.08.2016 तक पुरस्कारों की Entry Panchayat Ward. gov.in में करना सुनिश्चित करवायें।
- DRC तथा BRC की बैठक शीघ्र बुलायें ताकि 14वें वित्त आयोग के तहत योजना ली जा सके। मॉडल पंचायत की सूची शीघ्र विभाग को भेजे। लम्बित पंचायत भवन निर्माण कार्य से जुड़े प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को उपलब्ध करायें।

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेन्स विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि —

- पंचायत, प्रखण्ड मुख्यालय स्तर के कार्यालयों में नेट की सुविधा का अधिकतम उपयोग हो, इस दिशा पर सभी उपायुक्त कार्रवाई करे ताकि ग्रामीण जनता आधुनिक दूरसंचार तकनीक से वाकिफ हो सके।

वाणिज्य कर

वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि—

- चेकपोस्ट उपायुक्त पर्यवेक्षक स्तर के कर्मी की सेवा प्रतिव्यक्ति के आधार पर लिया जाए ताकि चेकपोस्ट में राजस्व संग्रह का कार्य सुचारू रूप से चल सके।
- नीलाम-पत्र में बड़े बकायेदारों पर कड़ी कार्रवाई कर राजस्व संग्रहण को बढ़ाया जाए।

परिवहन

परिवहन विभाग की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि—

- देवघर हवाई अड्डा के निर्माण कार्य हेतु शीघ्र भूमि का हस्तान्तरण करें।
- उपायुक्त, गिरिडीह एवं रामगढ़ रेलवे द्वारा याचित भूमि शीघ्र उपलब्ध करायें।
- माननीय उच्च न्यायालय द्वारा परिवहन निगम के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों के भुगतान के संबंध में न्याय आदेश प्राप्त है, जिसमें कहा गया है कि जिन कर्मियों का समायोजन अन्य विभागों में कर लिया गया है, अथवा सेवानिवृत्त हो गए हैं, वैसे कर्मियों को वेतनादि एवं पेंशन के एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए जिलास्तर पर परिवहन निगम को कर्मियों की विस्तृत विवरणी विभाग को उपलब्ध करायी जाए ताकि न्यायदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

योजना—सह—वित्त

योजना—सह—वित्त विभाग की समीक्षा में मुख्य सचिव ने निदेश दिया कि—

- केन्द्र अथवा राज्य सरकार की लाभुक आधारित योजना का भुगतान DBT के माध्यम से करने हेतु लाभुकों का आधार सिडींग शीघ्र पूरा करें।
- चिट—फण्ड एवं नन—बैंकिंग मामले में RBI के दिशानिर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। (इन विषय से संबंधित मामलों RBI के वेबसाईट Sachin पर देखा जा सकता है।)
- सभी बैंको में जीरो बैलेन्स पर खाता खोलने हेतु सभी उपायुक्त आवश्यक निदेश बैंको को उपलब्ध करायें।
- रिक्त पंचायत भवन जो सुरक्षित एवं आबादी वाले क्षेत्र में हैं, उसमें बैंक खोलने हेतु भवन उपलब्ध करायें।

उक्त के क्रम में विकास आयुक्त द्वारा भी सभी उपायुक्तों को निम्न निदेश दिया गया कि :-

- लोकधन से निर्मित्त अप्रयुक्त भवन की सूची सभी उपायुक्तों से मांगी गई है, परन्तु कई जिला से सूची अप्राप्त है। यथाशीघ्र सूची उपलब्ध करायें ताकि इन भवनों का सदुपयोग किया जा सके।
- District Innovative Fund के तहत जिला से प्रस्ताव मांगा गया है, परन्तु अबतक किसी जिला से प्रस्ताव प्राप्त नहीं है। सभी उपायुक्त शीघ्र प्रस्ताव गठित कर योजना प्रभाग को उपलब्ध करायें।

- जिला योजना अनाबद्ध निधि के तहत मार्गदर्शिका के अनुरूप योजना लेना सुनिश्चित किया जाए। सभी जिला इस वर्ष हुई जिला योजना समिति की कार्यवाही विभाग को प्रेषित करें।

अंत में मुख्य सचिव महोदया ने सभी उपायुक्तों को निदेशों के अनुरूप कार्रवाई करने एवं **timeline fix** करने का निदेश दिया ताकि आगामी राज्यस्तरीय बैठक में सभी विचारणीय बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

अन्त में सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह०/-

(राजबाला वर्मा)

मुख्य सचिव, झारखण्ड


झारखण्ड सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग

(समन्वय)

ज्ञापांक- सी0एस0-01/बैठक (मु0 मंत्री)-08/2015 1116/ रांची, दिनांक 02, सितम्बर, 2016 ई0।

प्रतिलिपि- मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/ मुख्य सचिव कार्यालय के विशेष कार्य पदाधिकारी/ विकास आयुक्त, झारखण्ड/ सभी अपर मुख्य सचिव/ सरकार के सभी प्रधान सचिव/ सरकार के सभी सचिव/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(जितबाहन सराव)

विशेष कार्य पदाधिकारी